न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—5/20 (2020/00021) वाद पत्र

अनवान

1—महेशकुमार आत्मज प्यारचन्द महाजन (शाह) निवासी बोरयापुरा हाल निवास ए.6 चंदनवन सोसायटी, नियर साउथ जोन ऑफिस उधना सुरत

2—दिनेशचन्द्र आत्मज प्यारचन्द महाजन (शाह) निवासी बोरयापुरा हाल निवास ए.6 चंदनवन सोसायटी, नियर साउथ जोन ऑफिस उधना सुरत

वादीगण

बनाम

1—राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. हरिश टेलर — अधिवक्ता वादीगण

निर्णय

दिनांकः—17/09/2020

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम बोरयापुरा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में वादीगण एवं अन्य आराजियात संख्या 518, 521, 522 कुल किता 3 कुल रकबा 0.63 है0 भूमि स्थित होकर खाता संख्या 96 पर दर्ज है। इसी प्रकार खाता संख्या 420 में अकिंत आराजी संख्या 503 रकबा 0.02 है0 गे.मु. चाह स्थित होकर दर्ज है। इसी प्रकार खाता संख्या 419 में दर्ज आराजी संख्या 802, 814 कुल किता 2 कुल रकबा 0.26 है0 दर्ज है। तथा इसी प्रकार ग्राम रेवाड़ा में स्थित खाता संख्या 70 की आराजियात संख्या 774, 780, 781, 782 कुल किता 5 कुल रकबा 1.38 है0 भूमि दर्ज है। एवं इसी प्रकार खाता संख्या 126 में आराजी संख्या 784 रकबा 0.02 है0 गे.मु. चाह दर्ज है। उक्त वर्णित भूमिया वादीगण की पैतृक एवं पुश्तैनी भूमियां है जो वादीगण के पिता प्यारचन्द आत्मज रंगलाल महाजन के नाम दर्ज थी और उनकी मृत्यु उपरान्त सन् 1991 में विरासत से हम वादीगण एवं हमारे भाईयो के नाम नामान्तरित होकर दर्ज हुई। हिन्दु सुयक्त परिवार है जिनके मूल पुरूष प्यारचन्द आत्मज रंगलाल महाजन है और उनके वादीगण एवं अन्य भाई वारिसान है। सजरे मे वादीगण महेशकुमार का नाम पूर्व में मिठुलाल था तथा दिनेशचन्द्र का नाम धर्मचन्द था जो स्कुल के रेकार्ड में दर्ज रह जाने से उक्त वर्णित आराजियात मे भी वादीगण का नाम मीठुलाल व धर्मचन्द दर्ज हो गया किन्तु वादीगण अक्सरतः अपने व्यवसाय स्थल सुरत में वर्षो पूर्व से ही निवास कर रहे है और वहां जाकर वादीगण के समस्त रेकार्ड यानि आधार कार्ड मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, बैंक की पास बुक आदि दस्तावेजात में वादी संख्या एक का नाम महेशकुमार आत्मज प्यारचन्द महाजन तथा वादी संख्या 2 का नाम दिनेशचन्द्र आत्मज प्यारचन्द महाजन दर्ज करवा रखा है। वादीगण के उक्त दोनो नाम उनके परिवार में व घर में बोलते हुए नाम से पुकारने के कारण यही नाम दर्ज करवा रखा है। वादीगण के उक्त दोनो नाम घर में परिवार में बोलने के कारण यही नाम दर्ज हो गये किन्तु उक्त वर्णित भूमियो में वादीगण 1 का नाम मीठुलाल व वादीगण संख्या 2 का नाम धर्मचन्द दर्ज रह गया। जिससे वादीगण का नाम महेशकुमार व दिनेशचन्द्र होने से सरकारी सुविधा का लाभ नही ले सकते है। अतः वादीगण सादर प्रार्थना है कि घोषणात्मक डिक्री बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादी इस आशय की जारी फरमाई जावे कि उक्त वर्णित आराजियात में दर्ज वादीगण का नाम मीठुलाल आत्मज प्यारचन्द महाजन के बजाय दिनेशचन्द्र आत्मज प्यारचन्द महाजन दर्ज करवा इन्द्राज दुरूस्ती की जावे। तथा तदनुसार राजस्व रेकार्ड में भी अंकन कराया जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.09.29 12:34:15 IST
Reason: SelfAttested

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 03/01/2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में प्रतिवादी तहसीलदार रायपुर द्वारा जवाब प्रस्तुत नही कर मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की जो शामिल पत्रावली की गई।

तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में अंकन किया कि वादीगण महेशकुमार, दिनेशचन्द्र महाजन निवासी बोरियापुरा वर्तमान में व्यवसाय हेतु उधना जिला सुरत (गुजरात) में निवास कर रहे है वादीगण के नाम ग्राम बोरियापुरा व रेवाड़ा में कृषि भूमिया स्थित है। राजस्व रेकार्ड में दर्ज मीठुलाल पिता प्यारचन्द, धर्मचन्द पिता प्यारचन्द महाजन है जिसे वादीगण अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैक पास बुक, पासपोर्ट, मतदात पहचान पत्र आदि दस्तावेज अनुसार मिठुलाल के बजाय महेशकुमार एवं धर्मचन्द के बजाय दिनेशचन्द्र कराना चाहते है। ग्राम बोरियापुरा के मौतबिरान से पुछताछ करने पर पाया कि वादीगण के बचपन में बोलता नाम मीठुलाल व धर्मचन्द था जिसका विरासत से राजस्व रेकार्ड में अंकन हो गया था। मीठुलाल पिता प्याचन्द महाजन व महेशकुमार पिता प्यारचन्द महाजन एवं धर्मचन्द पिता प्यारचन्द महाजन व दिनेशचन्द्र पिता प्यारचन्द महाजन एक ही व्यक्ति होना पाया गया वादीगण वर्तमान में अपने व्यवसाय स्थल उधना सुरत होने से मौके पर उपस्थित नही है।

वादपत्र के समर्थन में वादीगण अधिवक्ता के द्वारा निवेदन किया कि राजस्व रेकार्ड में बोलते हुए नाम दर्ज हो है जबकि समस्त दस्तावेजो में नाम के आधार पर नाम संशोधन करते हुए वाद को डिक्री फरमाया जाने का निवेदन किया।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया तो पाया कि वाद के कालॅम संख्या 3 में स्वयं वादीगण द्वारा यह अकिंत कर रखा है कि स्कूल रेकार्ड में वादीगण का नाम मीठुलाल व धर्मचन्द है और अन्य दस्तावेज में आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, बैंक आदि में महेशकुमार एवं दिनेशचन्द्र दर्ज है जिसके अनुसार वादीगण अपना नाम राजस्व रेकार्ड में परिवर्तन कराना चाहते है।

इस प्रकरण में मुख्य बात यह है कि वादीगण द्वारा अपना नाम जो उनके माता पिता के द्वारा रखा है उसी उनकी पहचान बनी और स्कूल में दाखिला के दौरान जो नाम माता पिताओं के द्वारा रखा गया उसी अनुसार स्कुल रेकार्ड में दर्ज हुआ है। और गांव में वादीगणो को आम बोलचाल की भाषा में जिस नाम से उनको जाना जाता है जिसे उनकी पहचान है उसी अनुसार वादीगण के मृतक पिता प्यारचन्द जी की विरासत में नाम दर्ज हुआ है। साथ ही इस प्रकरण में जो नाम स्कुल रेकार्ड में दर्ज है जिससे वादीगणो ने शिक्षा प्राप्त की है और वही शिक्षा आज उनके जीवन में काम आ रही है और उसी स्कूल दस्तावेज के आधार पर आगामी सारी कार्यवाही हुई है। जिसको वादीगण गलत बता रहे है जो उचित नही है। यहा तक कि वादीगण के द्वारा कही यह भी स्पष्ट नही किया कि स्कुल रेकार्ड के नाम के विपरीत किस आधार पर आधार कार्ड, पासपोर्ट, बैंक पास बुक आदि दस्तावेज तैयार कराये जबकि मूल दस्तावेज वादीगण के पास उनके स्कुल प्रमाण एवं उसी के आधार पर जमाबन्दी में नाम दर्ज हुआ है। ऐसी स्थिति में वादीगण यह सिद्व करने में असफल रहे कि किस आधार पर अपना नाम परिवर्तन कराना चाहते है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार योग्य नही है।

आदेश

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद मूल स्कूल प्रमाण पत्र के एवं राजस्व रेकार्ड के विपरीत पेश किया जाने से अस्वीकार किया जाता है। इसी अनुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 17.09.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

17.09.2020

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर उपखण्ड अधिकारी
रायपुर जिला भीलवाड़ा

सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.09.29 12:34:15 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में अन्तिम डिक्री

(आदेश 20 रूल्य 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर भीलवाडा

पीठासीन अधिकारीः–सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–5 / 20 (2020 / 00021) वाद पत्र

अनवान

1–महेशकुमार आत्मज प्यारचन्द महाजन (शाह) निवासी बोरयापुरा हाल निवास ए.6 चंदनवन सोसायटी, नियर साउथ जोन ऑफिस उधना सुरत

2–दिनेशचन्द्र आत्मज प्यारचन्द महाजन (शाह) निवासी बोरयापुरा हाल निवास ए.6 चंदनवन सोसायटी, नियर साउथ जोन ऑफिस उधना सुरत

वादीगण

बनाम

1–राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वाद वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद मूल स्कूल प्रमाण पत्र के एवं राजस्व रेकार्ड के विपरीत पेश किया जाने से अस्वीकार किया जाता है।

वाद में डिक्री आज दिनांक 17.09.2020 को न्यायालय मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

17.09.2020

(सुन्दरलाल बम्बोडा)

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)

रायपुर जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर (भीलवाड़ा)

सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.09.29 12:34:15 IST
Reason: SelfAttested